an>

Title: Need for Central Government intervention against improper implementation of OBC reservation in Maharashtra.

श्री हंसराज गंगाराम अहीर (चन्द्रपुर): अध्यक्ष महोदया, मैं ओबीसी के संबंध में बोलना चाहता हूं। देश में मंडल आयोग की सिफारिशों को पूरा मानकर ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया गया। महाराष्ट्र में भी इस नीति को माना गया है। कुछ राज्यों में ओबीसी के लिए आरक्षण कुछ कम है। महाराष्ट्र ने 27 प्रतिशत आरक्षण माना है, उसके बावजूद यवतमाल, चंद्रपुर, गड़चिरौली और अन्य जिलों में ओबीसी का आरक्षण कुछ कम किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि ओबीसी पर काफी अन्याय किया जा रहा है। क्रिमिलेयर की साढ़े चार लाख की जो मर्यादा थी, पिछले वर्ष से उसे बढ़ाकर छ: लाख किया गया है। लेकिन राज्य सरकार ने उसे साढ़े चार लाख ही रखा है। इस वजह से पिछले वर्ष जिन छात्रों ने स्कूलों या कॉलेजों में प्रवेश लिया था, जब उन्हें अधिक फी भरने की नौबत आई तो कई छात्रों ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। सैंट्रल गवर्नमैंट की क्रिमिलेयर की छ: लाख की मर्यादा की जो पॉलिसी है, उसे लागू करने के लिए भी राज्य सरकार आगे-पीछे कर रही है।

पूरे देश में ओबीसी छात्रों को मैट्रिक के बाद स्कॉलरशिप दी जाती है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार कई वर्षों से उन छात्रों को स्कॉलरशिप नहीं दे रही है। मैं आपके माध्यम से सरकार से विनती करता हूं कि ओबीसी छात्रों के साथ जो अन्याय हो रहा है, उसके लिए वहां की सरकार से पूछा जाए और संबंधित मंत्रालय के प्रधान सचिव या मुख्य सचिव को यहां बुलाकर इस संबंध में निर्देश दिए जाएं कि ओबीसी समाज पर अन्याय न किया जाए।

माननीय अध्यक्ष :

श्री प्रह्लाद सिंह पटेल,

श्री नाना पटोले,

श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी,

श्री रामदास सी. तडस और

श्री अनिल शिरोले अपने आपको श्री हंसराज गंगाराम अहीर के विषय के साथ सम्बद्ध करते हैं।